



# मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल

शिवाजी नगर, भोपाल पिन-462011

दूरभाष क्रमांक 0755-2578594 E-mail- mpbsevk@gmail.com



क्रमांक/ 1759 /2021

भोपाल, दिनांक 01/12/2021

// विज्ञप्ति //

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप वर्ष 2021 के लिये नवीन ऑनलाइन आवेदन एवं 2017 से वर्ष 2020 तक के लिये नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि दिनांक 30/11/2021 से बढ़ाकर 15 दिसम्बर 2021 किये जाने के संबंध में।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल के माध्यम से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फार कालेज एण्ड यूनीवर्सिटीज स्टूडेंट की नवीन छात्रवृत्ति एवं नवीनीकरण छात्रवृत्ति व लिये ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 2021 से बढ़ाकर 15 दिसम्बर 2021 कर दी गई है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2021 में उत्तीर्ण Top 20 Percentile अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नवीन छात्रवृत्ति हेतु एवं वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक के चयनित विद्यार्थी नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु National Scholarship Portal पर आवेदन केवल ऑनलाइन ही भरेंगे।

छात्रवृत्ति योजना के अनुसार मध्यप्रदेश के लिये प्रविष 4299 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कोटा निर्धारित है, जिसमें से 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्राओं के लिये एवं 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्रों के लिये निर्धारित की गई हैं। उपरोक्त संख्या को 3:2:1 के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों में वितरित किया जावेगा। इन अभ्यर्थियों में सभी वर्गों का कोटा आवंटित है। 15 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति, 7.5 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजाती, 27 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 5 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ विकलांग अभ्यर्थियों हेतु कोटा आवंटित है।

इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिये मण्डल हायर सेकण्डरी परीक्षा सत्र 2020-2021 में Top 20 Percentile वाले ऐसे आवेदकों को पात्रता होगी जो सत्र 2021-2022 में नियमित रूप से किसी शासकीय अथवा अशासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स हेतु अध्ययनरत हैं। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश के हायर सेकण्डरी परीक्षा के Top 20 Percentile विद्यार्थियों की सूची में से सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिये ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के आवेदनों का संस्था स्तर एवं राज्य स्तर पर सत्यापन पूर्ण हो जाने के उपरान्त कुल सत्यापित आवेदनों में से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट में लिये गये विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि Top 20 Percentile अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो।

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप हेतु दिशा-निर्देश वेबसाइट [www.mpbse.nic.in](http://www.mpbse.nic.in) एवं <http://www.scholarships.gov.in> (नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल) पर उपलब्ध है।

भारत शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति हेतु हितग्राही विद्यार्थी का आधार नम्बर होना आवश्यक है एवं विद्यार्थी को अपने स्वयं के नाम का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलकर उसे आधार से जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया है।

Online/Offline आधार कार्ड संबंधी दिशा-निर्देश वेबसाइट <http://www.aadharcarduidai.in/> aadhar-card-apply-online-offline पर उपलब्ध है।

विद्यार्थी National Scholarship Portal पर छात्रवृत्ति हेतु Online आवेदन स्वयं करेंगे एवं आवेदन करने के पश्चात पावती हेतु प्रिन्ट निकालकर अपने पास रखें एवं हार्डकापी अपने अध्ययनरत संस्थान में जमा कर संस्था से अनिवार्य रूप से सत्यापित करावें।

*S. Dahim*

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

म.प्र. भोपाल